<u>प्रतिवेद्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>दीवानी अपील संख्या 6003 वर्ष 2021</u>

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।.. .. अपीलार्थी (गण)

बनाम

प्रेमलता .. प्रत्यर्थी (गण)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति एम आर शाह</u>

1. विशेष अपील डिफेक्टिव (एसएडी) सं. 620 वर्ष 2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14.09.2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट व व्यथित होकर उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खण्ड़ पीठ ने उक्त अपील की अनुमति दी है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 31.07.2018 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं–मूल प्रत्यर्थिओं को निर्देश दिया है

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कि वे ग्रेड III सेवा में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी– यहाँ पर मूल अपीलकर्ता की अभ्यर्थिता पर विचार करें।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील करने के लिए तथ्य निम्नानुसार हैंः–

2.1 यह कि मृतक कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग (वर्ग IV) में संदेशवाहक के रूप में सेवारत था, दिनांक 07.11.2014 को उसकी मृत्यु हो गई। मृतक–सरकारी कर्मचारी की विधवा होने के नाते इस वाद की प्रत्यर्थी ने अनुकंपा के आधार पर पुलिस रेडियो विभाग में सहायक ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 05.12.2014 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह उक्त पद के लिए अपेक्षित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रही है। इसके बाद प्रत्यर्थी ने अनुकंपा के आधार पर कार्यशाला कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ के समक्ष एक और आवेदन प्रस्तुत किया। हालाँकि, चूंकि वह कार्यशाला कर्मचारी के चयन के लिए 28.01.2018 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रही, इसलिए अनुकंपा के आधार पर कार्यशाला कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। कार्यशाला कर्मचारी के पद पर शारीरिक पात्रता परीक्षा में असफल होने के कारण, पुलिस रेडियो मुख्यालय, उ.प्र., लखनऊ के 23.02.2018 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी को रेडियो विभाग में कार्यशाला कर्मी के नीचे की रैंक का पद यानी संदेशवाहक के पद की पेशकश की गई थी। उक्त पद को स्वीकार करने के बजाय प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रित नियमावली 1974 के प्रावधानों के तहत पुलिस रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी के पद पर नियुक्ति का दावा किया गया और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलकर्ताओं को उसे कर्मशाला कर्मचारी के पद पर या समान कैडर में उसके लिए उपयुक्त पद पर नियुक्त करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गयी है।

2.2 दिनांक 31.07.2018 के निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि मृत कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था और उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति की भी पेशकश की गई है, इसलिए वह कर्मशाला कर्मी के पद पर या वर्ग III के किसी अन्य उपयुक्त पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती है।

2.3 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर की तथा आक्षेपित निर्णय व आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया है और अपील की अनुमति दी है और ग्रेड III सेवा में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वाद की प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया है और यदि वह अन्यथा किसी अयोग्यता से ग्रस्त न हो, तो उसे प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा संप्रेक्षित किया है कि नियमावली 1974 के नियम 5 के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नियम 5 के तहत नियुक्ति एक "उपयुक्त पद" पर दी जानी आवश्यक है और शब्द 'उपयुक्त' नियम 5 में उस व्यक्ति की उपयुक्तता से संबंधित है जो नियुक्ति की इच्छा रखता है और इसका मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद से कोई लेना–देना नहीं है। खण्ड़पीठ ने यह भी देखा कि प्रार्थी की उपयुक्तता को ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रताओं के आधार पर आकलित किया जाना अपेक्षित है। खण्ड़पीठ

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ने उल्लेख किया कि प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी कला में स्नातक की डिग्री के साथ–साथ शिक्षा में स्नातक डिग्री की योग्यता रखता है और इसलिए ग्रेड III में किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य है।

3. उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ने वर्तमान अपील को दायर किया है।

4. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री रुचिरा गोयल ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में , उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने नियमावली 1974 के नियम 5 की गलत व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रत्यर्थी शैक्षिक योग्यता पर विचार करते हुए 'उपयुक्त पद' पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार होगा और इस तथ्य के बावजूद कि मृत कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के पद पर काम कर रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने इस तथ्य को ठीक से नहीं समझा है कि अपीलकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की है जिसकी नियमित पद/नियमित भर्ती के साथ समानता नहीं की जा सकती है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'उपयुक्त पद' को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और प्रयोजन से जोड़ा जाना आवश्यक है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य और प्रयोजन एकमात्र रोटी कमाने वाले की अचानक मृत्यु के कारण पैदा हुई कठिनाइयों को पूरा करना है और इसकी नियमित भर्ती/नियुक्ति के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि मृत कर्मचारी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

द्वारा धारित पद पर विचार करने के लिए 'उपयुक्त पद' पर विचार किया जाना है और यह उच्च पद नहीं हो सकता है।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियमावली 1974 के नियम 5 में उल्लिखित 'उपयुक्त पद' को मृत कर्मचारी द्वारा धारित पद के सापेक्ष आश्रित की शैक्षिक योग्यता को देखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पहले प्रत्यर्थी ने उप निरीक्षक के पद के लिए आवेदन किया था जिसके लिए प्रत्यर्थी आईटीआई की अपेक्षित योग्यता नहीं रखती थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में भी जब उसने कर्मशाला कर्मी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया तो वह शारीरिक परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पायी, जिसे उत्तर प्रदेश रेडियो अधीनस्थ सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली, 2005 के अनुसार उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्रत्यर्थी को अगले निचले पद यानी संदेशवाहक के पद की पेशकश की गई थी, जिसे प्रत्यर्थी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 24.11.2015 के परिपत्र के अनुसार भी, मृतक के आश्रित को किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए केवल एक अवसर दिया जाना आवश्यक था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी दो बार अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि नियमावली 1974 के नियम 5 के अधीन "उपयुक्त पद" से अभ्यर्थियों की अर्हता के लिए उपयुक्त कोई पद अभिप्रेत होगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

4.7 उपरोक्त दलीलें देते हुए, वर्तमान अपील को अनुमति देने की प्रार्थना की जाती है।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशांक सिंह द्वारा वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने नियमावली 1974 के नियम 5 की सही व्याख्या की है, इसका मतलब उम्मीदवार की योग्यता के लिए उपयुक्त किसी भी पद से होगा।

5.1 यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने प्रत्यर्थी को कर्मशाला कर्मी के रूप में नियुक्त करने का निर्देश नहीं दिया है, बल्कि मामले में प्रत्यर्थी की योग्यता को देखते हुए ग्रेड III के किसी अन्य उपयुक्त पद पर विचार करने का निर्देश दिया है।

5.2 यह बलपूर्वक कहा गया है कि जैसा कि डीजीपी, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.11.2015 में मृतक के आश्रित को किसी भी पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का केवल एक अवसर प्रदान किया गया है और यदि ऐसा आश्रित अवसर का लाभ उठाने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को तीन महीने की अवधि के भीतर किसी अन्य निचली रैंक पर नियुक्ति की पेशकश की जाएगी, यह प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर अनुप्रयोज्य नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी ने उक्त परिपत्र से पहले ही आवेदन कर दिया। यह कहा गया है कि इसलिए उक्त परिपत्र में एक अवसर प्रदान करने के संबंध में शर्तें वाद के प्रत्यर्थी के लिए लागू नहीं होंगी।

5.3 आगे यह कहा गया है कि नियमावली 1974 के उपबंधों के अधीन "उपयुक्तता" का अवधारण करते समय, अपेक्षित अर्हता को निर्धारित करने वाले

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उक्त नियमावली के नियम 5 को नियमावली 1974 के नियम 8 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए कि अभ्यर्थी को कार्य और दक्षता के न्यूनतम मानकों को बनाए रखने में समर्थ होना चाहिए।

5.4 यह कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों में एक उच्च तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि जहाँ तक अनुकंपा नियुक्तियों का संबंध है ऐसी नियुक्तियों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

5.5 आगे यह कहा गया है कि मृतक द्वारा धारित पद से उच्च पद पर आश्रित की नियुक्ति के लिए कोई रोक नहीं है। यह कहा गया है कि नियमावली 1974 के नियम 5 में यह प्रावधान है कि अपीलकर्ता को सामान्य भर्ती नियमों में छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाले पद को छोड़कर किसी पद पर सरकारी सेवा में उपयुक्त रोजगार दिया जा सकता है।

5.6 यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी को भी इस आधार पर कर्मशाला कर्मी के रूप में नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी शारीरिक परीक्षा पास करने में विफल रहा। यह कहा गया है कि किसी पद की उपयुक्तता शैक्षिक योग्यता और/या अन्य मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। यह कहा गया है कि यह सच है कि एक बार अनुकंपा नियुक्ति के कारण किसी पद को स्वीकार किए जाने के बाद कानून के प्रावधानों के अनुसार, उच्च पद के लिए आगे या बाद में आवेदन करने के किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया है कि हालांकि वर्तमान मामले में तथ्य विशिष्ट हैं। कर्मशाला कर्मी के विशेष पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अलावा, एक शारीरिक परीक्षण भी पास किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि शारीरिक परीक्षण पास करने में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रत्यर्थी की विफलता उसे इस विशेष पद के लिए अयोग्य बनाती है। हालांकि, संदेशवाहक के पद की पेशकश करना उसकी शैक्षिक योग्यता के लिए असंगत है। इसलिए प्रत्यर्थी का ग्रेड III के अन्तर्गत किसी वैकल्पिक या उपयुक्त पद के लिए विचार किया जा सकता है, जिसमें शारीरिक परीक्षण की ऐसी विशिष्ट भर्ती प्रयोज्य न हो, क्योंकि निचले स्तर का पद उसकी शैक्षिक योग्यता को निरर्थक बना देगा।

5.7 उपरोक्त दलीलों से और श्रीमती फूलवती बनाम भारत संघ और 10 अन्य 1991 सप्लीमेंट (2) एससीसी 689 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लेते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

7. प्रत्यर्थी का पति पुलिस रेडियो विभाग में संदेशवाहक (वर्ग IV/ग्रेड IV पद) के रूप में सेवारत था। 07.11.2014 को उसका निधन हो गया। प्रत्यर्थी– मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा ने सहायक ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के लिए 05.02.2014 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वह सहायक ऑपरेटर के पद के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रही थी। उसके बाद उसने 19.02.2015 को कर्मशाला कर्मी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन किया जो एक ग्रेड III पद है। उसे उक्त पद पर नियुक्ति का अवसर दिया गया था, हालांकि वह उक्त पद के लिए आयोजित शारीरिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकी और इस तरह शारीरिक पात्रता परीक्षा में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप, उसे अनुकंपा के आधार पर कर्मशाला कर्मी के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकी। फिर भी दिनांक 23.02.2018 के आदेश से, प्रत्यर्थी को रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मी के रैंक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

से नीचे का पद यानी संदेशवाहक के पद की पेशकश की गई, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया और प्रत्यर्थी ने जोर देकर कहा कि उसे कर्मशाला कर्मी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए या उसकी शैक्षिक योग्यता को देखते हुए ग्रेड III के समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। हालाँकि, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खण्ड़पीठ ने प्रतिवादी के मामले को अनुकंपा के आधार पर कर्मशाला कर्मी के पद पर या उसकी योग्यता को देखते हुए ग्रेड III में किसी भी समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश दिया है और नियम 5 की व्याख्या की कि मृतक आश्रित नियमावली 1974 के नियम 5 के तहत 'उपयुक्त पद' उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार उपयुक्त कोई पद होगा। पूर्वोक्त इस अदालत के समक्ष अपील का विषय है।

8. वर्तमान अपील में शामिल मुद्दे पर विचार करते समय, मृत कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून को संदर्भित और विचार करने की आवश्यकता है। हाल के फैसले में, सिविल अपील संख्या 5122/2021 कोषागार निदेशक, कर्नाटक और एक अन्य बनाम वी. सोमश्री के मामले में, इस न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को शासित करने वाले सिद्धांत पर विचार किया था। एनसी संतोष बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2020) 7 एससीसी 617 में इस अदालत के फैसले का उल्लेख करके, इस अदालत ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को शासित करने वाले सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत किया हैः

(i) यह कि अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियम का अपवाद है;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ii) यह कि किसी आकांक्षी को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं है;

(iii) राज्य की सेवा में किसी लोक पद पर नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए;

(iv) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल राज्य की नीति द्वारा निर्धारित मानदंडों और/या नीति के अनुसार पात्रता मानदंडों की संतुष्टि पर की जा सकती है;

(v) आवेदन पर विचार की तारीख को प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए।

9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विभिन्न निर्णयों में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, सभी सरकारी रिक्तियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अनिवार्य रूप से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, एक मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाने वाली अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति उक्त मानदंडों का अपवाद है। अनुकंपा का आधार एक रियायत है न कि अधिकार।

9.1 हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम शशि कुमार (2019) 3 एससीसी 653 के मामले में इस अदालत ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और प्रयोजन पर विचार किया था और गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एलआईसी (2005) 10 एससीसी 289 के मामले में इस अदालत के सुविचारित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

निर्णय में प्रस्तर 21 और 26 में यह निम्नानुसार संप्रेक्षित और अभिनिर्धारित किया गया हैः

> "21. गोविंद प्रकाश वर्मा [गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एलआईसी, (2005) 10 एससीसी 289] के निर्णय को बाद में कई निर्णयों में माना गया है। लेकिन, इससे पहले कि हम उन निर्णयों को उल्लेख करें, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य [उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एससीसी 138:1994 एससीसी (एल एंड एस) 930] में अनुकंपा नियुक्ति की प्रकृति पर विचार किया गया था। उमेश कुमार नागपाल [उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एससीसी 138: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 930] में जिन सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है, उनका बाद में इस न्यायालय द्वारा लगातार विधिक निर्णयों में पालन किया गया है। ये सिद्धांत निम्नलिखित उद्धृरण में समझाये गये हैंः (उमेश कुमार नागपाल वाद [उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एससीसी 138: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 930], एससीसी पृष्ठ 13940, प्रस्तर 2)
>
> "2. ... नियमानुसार, लोक सेवाओं में नियुक्तियाँ पूर्णतया आवेदनों के खुले आमंत्रण एवं योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। नियुक्ति का कोई अन्य तरीका या कोई अन्य विचारण अनुमन्य नहीं है। न तो सरकारें और न ही लोक प्राधिकरण किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करने या पद के लिए नियमों द्वारा निर्धारित योग्यता को शिथिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, इस सामान्य नियम का,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जिसका हर मामले में कड़ाई से पालन किया जाना है, न्याय हित में और कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अपवाद हैं। ऐसा ही एक अपवाद किसी मृतक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में है जो अपने परिवार को अभाव और बिना किसी आजीविका के छोड़ जाते हैं। ऐसे मामलों में, पूर्ण मानवीय विचार से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कुछ स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार का गुजारा नहीं हो पाएगा, नियमावली में मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकते हैं। इस प्रकार अनुकंपा रोजगार देने का समग्र उद्देश्य परिवार को अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवार के किसी सदस्य को पद देना नहीं है और मृतक द्वारा धारित पद के लिए पद देना तो बिल्कुल नहीं है। सेवाकाल में किसी कर्मचारी की मृत्यु मात्र से उसका परिवार आजीविका के ऐसे स्त्रोत का अधिकारी नहीं हो जाता। संबंधित सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है और यह केवल तभी होता है जब वह संतुष्ट होता है, लेकिन रोजगार के उपबंध के लिए, परिवार उस संकट से उबर नहीं पाएगा इसलिए परिवार के पात्र सदस्य को नौकरी दी जानी है। मैनुअल और नॉन मैनुअल श्रेणियों में वर्ग III और IV के पद सबसे छोटे पद हैं और इसलिए अनुकंपा के आधार पर केवल उसकी ही पेशकश की जा सकती है, इसका उद्देश्य परिवार को वित्तीय संकट और आपातकाल से उबारने में मदद

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

करना है। नियम का अपवाद बनाकर ऐसे सबसे निचले पदों पर रोजगार का प्रावधान उचित और वैध है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण नहीं है। ऐसे पदों पर मृत कर्मचारी के ऐसे आश्रित को दिए जाने वाले अनुकूल उपचार (प्रबंध) का उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होता है जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है अर्थात् वित्तीय संकट के खिलाफ राहत। इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कोई अन्य पद देने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है।इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि मृतक के निराश्रित परिवार के सापेक्ष लाखों अन्य परिवार हैं जो यदि ज्यादा निराश्रित नहीं है, तो भी समान रूप से हैं। मृत कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बनाए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वैध अपेक्षाओं तथा पूर्ववर्ती रोजगार द्वारा उत्पन्न परिवार की स्थिति और मामलों में परिवर्तन पर विचार करना है जो अचानक समाप्त हो गए हैं।"

"26. मुमताज़ यूनुस मुलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य [मुमताज़ यूनुस मुलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 11 एससीसी 384: (2008) 2 एससीसी (एल एंड एस) 1077] में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले में यह सिद्धांत अपनाया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि मृतक के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबारने में सक्षम बनाने का एक साधन है। योजना में निहित प्रावधानों के आधार पर परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। गोविंद प्रकाश वर्मा [गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एलआईसी, (2005) 10

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एससीसी 289: 2005 एससीसी (एल एंड एस) 590] के वाद के निर्णय पर विधिवत विचार किया गया है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस मामले में इस न्यायालय की पूर्व बाध्यकारी मिसालों पर ध्यान दिया गया है।"

10. इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति लोक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम का एक अपवाद है और सेवाकाल में मरने वाले मृतक के आश्रितों के पक्ष में है और जो अपने परिवार को अभाव में व बिना किसी आजीविका के साधन के छोड़ रहा है और ऐसे मामलों में, पूर्ण मानवीय विचार से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कुछ स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार अपना गुजारा करने में सक्षम नहीं होगा, मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए नियमावली में एक प्रावधान किया गया है, जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हों। इस प्रकार अनुकंपा रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवार के किसी सदस्य को पद देना नहीं है और मृतक द्वारा धारित पद के लिए पद देना तो बिल्कुल नहीं है।

10.1 पूर्वोक्त विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करते और ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए और वह उद्देश्य व प्रयोजन जिसके लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाती है, प्रत्यर्थी की ओर से दिए गए तर्कों और नियमावली 1974 के नियम 5 पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा किए गए निर्वचन पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

10.2 वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने नियमावली 1974 के नियम 5 की व्याख्या की है और यह माना है कि नियमावली 1974 के नियम 5 के तहत 'उपयुक्त पद' का अर्थ मृतक कर्मचारी द्वारा धारित पद के निरपेक्ष उम्मीदवार की योग्यता के लिए उपयुक्त कोई भी पद होगा। उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ द्वारा पूर्वोक्त निर्वचन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के उद्देश्य और प्रयोजन के ठीक विपरीत है। मृत कर्मचारी द्वारा धारित स्थिति/पद पर विचार करते हुए 'उपयुक्त पद' पर विचार किया जाना चाहिए और मृत कर्मचारी द्वारा धारित पद पर विचार करते हुए शैक्षिक योग्यता/पात्रता मानदंड पर विचार किया जाना आवश्यक है और मृत कर्मचारी द्वारा धारित पद के सापेक्ष पद की उपयुक्तता पर विचार किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और नियमित नियुक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होगा।किसी दिए गए मामले में ऐसा हो सकता है कि मृतक कर्मचारी के आश्रित जिसने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, उसके पास वर्ग II या वर्ग I के पद की शैक्षिक योग्यता हो और मृत कर्मचारी वर्ग/ग्रेड IV और/या आवेदित पद से निचले पद पर काम कर रहा था, उस स्थिति में आश्रित/आवेदक इस आधार पर अधिकारस्वरूप मृत कर्मचारी द्वारा धारित पद से उच्च पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता है, कि वह इस तरह के उच्च पद के पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहा है। पूर्वोक्त अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और प्रयोजन के विपरीत होगा, जो जैसा कि ऊपर देखा गया है परिवार को कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पूर्ण मानवीय विचार

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

से प्रदान की जाती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आजीविका का कुछ स्रोत प्रदान किया जाता है तो परिवार अपना गुजारा करने में सक्षम होगा।

10.3 वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर देखा गया है, शुरू में प्रत्यर्थी ने पुलिस रेडियो विभाग में सहायक ऑपरेटर के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।विभाग द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था और इस आधार पर सही रूप से स्वीकार नहीं किया गया था कि वह सहायक ऑपरेटर के पद के लिए अपेक्षित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रही थी। इसके बाद प्रत्यर्थी ने फिर से कर्मशाला कर्मी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। प्रत्यर्थी के मामले पर विचार किया गया था, हालांकि वह शारीरिक परीक्षण परीक्षा में विफल रही, जो प्रासंगिक भर्ती नियमावली 2005 के अनुसार आवश्यक था। इसलिए, उसके बाद उसे संदेशवाहक के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की गई जो मृतक कर्मचारी द्वारा धारित पद के बराबर थी। इसलिए अपीलकर्तागण द्वारा संदेशवाहक के पद पर प्रत्यर्थी को नियुक्ति की पेशकश करना न्यायोचित था।हालांकि, प्रत्यर्थी ने ऐसे पद पर नियुक्ति से इनकार कर दिया।

11. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर उल्लिखित कारणों से, उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने नियमावली 1974 के नियम 5 की गलत व्याख्या की और गलत अर्थ लगाया है और यह देखते हुए व मानते हुए कि मृतक आश्रित नियमावली 1974 के नियम 5 के तहत 'उपयुक्त पद' का अर्थ अभ्यर्थी की योग्यता के लिए उपयुक्त कोई पद होगा और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति आश्रित की शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए की जानी है। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि इस

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तरह का निर्वचन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य व प्रयोजन को विफल कर देगा।

12. उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, वर्तमान अपील सफल होती है। विशेष अपील डिफेक्टिव (एसएडी) संख्या 620/2018 में उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 14.09.2018 को एतद्द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या 16009/2018 खारिज हो जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट को खारिज करते हुए पारित किया गया आदेश दिनांकित 31.07.2018 पुनःस्थापित (बहाल) हो जाता है। लागत के लिए कोई आदेश नहीं।

.....

(न्यायमूर्ति एम.आर. शाह)

.....

(न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना)

नई दिल्ली,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

05 अक्टूबर 2021.

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।